न्यायालय जनपद न्यायाधीश, गोण्डा।

प्रकीर्ण सिविल वाद सं0–6/2026

श्रीमती शमा खान आदि बनाम राम कैलाश

दिनांक–10.03.2026

पत्रावली पेश हुई।

आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

आवेदकगण की ओर से स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र 3ग मय शपथ पत्र 4ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका श्रीमती शमा खान के पति (आवेदक सं0 2 लगायत 6 के पिता) मो0 युसुफ खांन से जाल, फरेब व धोखाधड़ी करके विपक्षी द्वारा गाटा सं0–144/1.8460 हे0 स्थित मौजा शुकुलपर परगना तहसील व जिला गोण्डा में अंश भूमि रकबा 0.405 हे0 का कराये गए पंजीकृत मुहायदा वय दिनांकित 11.01.2017 को निरस्त कराने का वाद, न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) एफ0टी0सी0 नवीन, गोण्डा के समक्ष विचाराधीन है तथा इसी मुहायदा के अनुपालन हेतु विपक्षी द्वारा दायर मुकदमा, न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), गोण्डा के समक्ष विचाराधीन है। दोनों वादों के भिन्न–भिन्न न्यायालयों पर विचाराधीन होने से न्यायसंगत कार्यवाही व निर्णय हो पाना कदापि संभव नहीं है। अतः उपरोक्त दोनों वादों को किसी भी एक सक्षम न्यायालय पर अन्तरित करने की याचना की गयी है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 3ग के विरूद्ध आपत्ति 12ग प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि वह मूल वाद सं0–268/2023 में वादी मुकदमा है तथा मूल वाद सं0–1055/2017 में प्रतिवादी है। आवेदकगण द्वारा मुकदमे को लटकाने की नीयत से स्थानांतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त दोनों वाद में परिणामिक उपचार की याचना अलग–अलग होने के कारण दोनों वाद एक साथ नहीं चल सकते है। स्थानांतरण प्रार्थना पत्र झूठे मनगढ़ंत व काल्पनिक आधारों पर प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित याचिका आदेश के तथ्यों को छिपाकर स्थानांतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अन्तरण प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली एवं सम्बन्धित न्यायालयों की अद्यतन आख्या का अवलोकन किया।

सम्बन्धित न्यायालयों की आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि सामान्य वाद संख्या–268/2023 राम कैलाश बनाम श्रीमती शमा खान आदि की पत्रावली न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), गोण्डा पर विचाराधीन है तथा सामान्य वाद सं0–1055/2017 मो0 युसुफ बनाम राम कैलाश की पत्रावली न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), एफ0टी0सी0 नवीन, गोण्डा पर विचाराधीन है। चूंकि आवेदकगण द्वारा उपरोक्त दोनों सामान्य वाद को एक ही विवादित भूमि व एक ही विलेख से सम्बन्धित होने तथा दोनों वादों में पक्षकार समान होना बताया गया है, जिसका खण्डन विपक्षी द्वारा भी नहीं किया गया है, ऐसे में उपरोक्त दोनों सामान्य वाद का निस्तारण एक ही न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायसंगत होगा।

अतः न्यायहित में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), एफ0टी0सी0 नवीन, गोण्डा पर विचाराधीन सामान्य वाद सं0–1055/2017 मो0 युसुफ बनाम राम कैलाश की पत्रावली को वापस लेकर न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), गोण्डा पर विधिनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र 3ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

Digitally signed by DURG NARAIN SINGH
Date: 2026.03.12 16:43:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>आदेश</u>

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र 3ग **स्वीकार** किया जाता है।

सामान्य वाद सं0–1055/2017 मो0 युसुफ बनाम राम कैलाश की पत्रावली न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), एफ0टी0सी0 नवीन, गोण्डा से वापस लेकर न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), गोण्डा पर विधिनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित की जाती है।

समस्त सम्बन्धित सूचित हों।

(दुर्ग नरायन सिंह)
जनपद न्यायाधीश,
गोण्डा।
आई0डी0 नं0–यू0पी0 5863

दिनांक–10.03.2026